दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

# राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

278/1

पत्रांक : 1993 /05/76/एक/2015–16 दिनांक : 10 अगस्त 2015

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–सम्भल।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2015–16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या–37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:–

| धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में) | | | |
|---|---|---|---|
| बैंक का नाम | खाता संख्या | आईएफएससी कोड | धनराशि |
| इलाहाबाद बैंक | 50086598202 | IFSC Code ALLA0210565 | 14.271 |

(धनराशि लाख रू0 में)

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | अल्पसंख्यक/मलिन | निकाय का नाम | बस्ती/वार्ड का नाम | द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सम्भल | अल्पसंख्यक–37 बजट | न0पं0 गुन्नौर | वार्ड नं0–08, मौ0 रेतरा में गुड्डू भाई के मकान से इकबाल के मकान तक, असलम के मकान से मक्सूद के मकान तक एवं जेमुद्दीन के मकान से नेताजी के मकान तक व सुरेश के मकान से जयउद्दीन के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य। | 8.185 |
| 2 | सम्भल | अल्पसंख्यक–37 बजट | न0पं0 गुन्नौर | वार्ड नं0–09, मौ0 फजेल हीरापुर में बब्लू के मकान से कमरे वाली मस्जिद तक, कमलेश के मकान से मास्टर के मकान तक एवं मुहम्मद के मकान से कल्लू भाई के मकान तक लिंक गलियों में इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य। | 6.086 |
| | योग | | | | 14.271 |

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4 अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

दूरभाष– 2206709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

# राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

278/2

5 स्थानीय स्तर पर [illegible] कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं [illegible] नियम एवं पर्यावरणीय [illegible] यदि कोई स्वीकृति, अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो सुनिश्चित किया जाये।

6 [illegible] में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार [illegible] पूर्ण किया जावे।

7 [illegible] को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिए आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से [illegible] की सहमति ले ली जाये।

8 [illegible] वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण [illegible] उपलब्ध करायी जाये। निर्धारित अवधि [illegible] उपयोगिता प्रमाण पत्र, [illegible] को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9 [illegible] इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार [illegible] मद में व्यय की जायेगी [illegible] कार्य इस प्रकार कराए जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10 [illegible] केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य वैधिक [illegible] का अनुपालन [illegible] जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11 अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग [illegible] परियोजना के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी [illegible] शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि [illegible] अवमुक्त की जा रही है। [illegible] की सूचना [illegible] को उपलब्ध [illegible]।

12 शासन द्वारा [illegible] में आगणन के सापेक्ष [illegible] की धनराशि अवमुक्त की गई है [illegible] की धनराशि एवं [illegible] धनराशि अवमुक्त की जा रही है। [illegible] नियमानुसार [illegible] करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर [illegible] रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(ज्ञान प्रकाश सिंह)
वित्त नियंत्रक

[illegible]
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।
1. [illegible] नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. [illegible]
[illegible]

(ज्ञान प्रकाश सिंह)
वित्त नियंत्रक